रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112023-250027
CG-DL-E-14112023-250027

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 18, 1945
No. 755] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 18, 1945

मुरगांव पत्तन का महा पत्तन प्राधिकरण मंडल

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2023

फा. सं. जीएडी/विधि- संशोधन/ 23/2023:—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 72 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, कथित अधिनियम की **धारा 24, धारा-72 की उप धारा (2) के खंड (च) और (झ) के साथ पठित धारा 26 की उप धारा (i) के खंड (ज)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के मंडल द्वारा बनाए गए मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग) विनियम, 2023 को एतद्वारा अनुमोदन देती है, जिसे गोवा सरकार के दिनांक 27 अक्तूबर, 2022 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किया गया है ।

2. कथित विनियम इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 24, धारा 72 की उप-धारा (2) के खंड (च) और (झ) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड(ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल, मुरगांव पत्तन न्यास (स्टीविडोरिंग का लाइसेंसिंग) विनियम, 2010 का अधिक्रमण करते हुए, कथित अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से छूट गई कार्यवाहियों को छोडकर निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (i)** इन विनियमों को मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग) विनियम, 2023 कहा जाएगा ।

   (ii) यह विनियम, सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषा --** (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) "अधिनियम" का अर्थ है महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1); (ख) "एजेंट" का अर्थ है वह व्यक्ति जिन्हें विनियम-4 के तहत स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग लाइसेंस जारी किया गया है;
(ग) "फॉर्म" का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न फॉर्म;
(घ) "लाइसेंस" का अर्थ है विनियम-4 के तहत जारी स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग लाइसेंस;

(ड) "लाइसेंसधारी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिन्हें इन विनियमों के तहत स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग लाइसेंस जारी किया गया है; (च) "लाइसेंसिंग प्राधिकारी" का अर्थ है पत्तन का अध्यक्ष ।

(छ) "पत्तन" का अर्थ है मुरगांव पत्तन;

(ज) "रॉयल्टी" का अर्थ है मुरगांव पत्तन के मंडल द्वारा नियत राशि जो स्टीविडोरिंग अथवा शोर हैण्डलिंग सेवाओं के लिए एजेण्ट द्वारा मंडल को देय है।

(झ) "शोर हैण्डलिंग" में नौभार की हुक प्वाइंट तक अथवा से नौभार की व्यवस्था व प्रापण, वार्फ से स्टेक-यार्ड तथा वापसी क्रम में इन्टर मोडल ट्रान्सपोर्ट तथा समुद्र, रेल, जलमार्ग या सड़क मार्ग से या तक नौभार का प्रापण तथा प्रेषण, शामिल है।

(ट) "स्टीविडोर" वह एजेण्ट है जो इन विनियमों के तहत नौभार के भारण, अभारण तथा स्टोवेज हेतु प्राधिकृत है। (ठ) "स्टीविडोरिंग" में जहाज पर किसी भी प्रकार के नौभार का भारण, अभारण तथा स्टोवेज शामिल है।

(ड) "यातायात प्रबंधक" का अर्थ है मुरगांव पत्तन के यातायात विभाग के प्रभारी अधिकारी और इसमें उनके उपाधिकारी या सहायक या उनके अधिकार में कार्य करनेवाले कोई अन्य अधिकारी शामिल है।

(2) इन विनियमों में प्रयोग किए गए तथा परिभाषित नहीं किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्द तथा अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जो उन्हें इस अधिनियम में दिया गया है।

3. लागू होना :- ये विनियम एजेंट द्वारा कार्यान्वित स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग गतिविधियों के लिए लागू है किंतु ये पत्तन की स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग गतिविधियों, पब्लिक प्राईवट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, बिल्ड- ऑपरेट-ट्रांसफर ऑपरेशन्स अथवा करारों या मंडल द्वारा किए गए ऐसे अन्य करारों पर लागू नहीं होते है।

4. स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग एजेण्ट का लाइसेंसिंग :- (1) कोई भी पात्र व्यक्ति जो पात्रता मानदण्डों को पूरा करते है, वे लाइसेंस के लिए फॉर्म-क में अध्यक्ष को लिखित में आवेदन कर सकते है जिसके साथ निर्दिष्ट दस्तावेज और शुल्क, जो मंडल द्वारा निर्धारित किया हो, प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदक को, निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने के अधीन लाइसेंस जारी किया जाएगा :-

(क) आवेदक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत पंजीकृत कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या कोई अन्य विधिक संस्था है ;

(ख) आवेदक, किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए पांच लाख रूपए की ब्याज रहित प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करेगा जिसे दावा, यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात तब वापस किया जाएगा जब लाइसेंसधारी प्रचालन बंद करता है ;

(ग) आवेदक के पास स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग गतिविधियों के लिए मंडल द्वारा यथा निर्दिष्ट आवश्यक उपकरण है ;

(घ) आवेदक यह वचन देगा कि वह कम से कम छह पर्यवेक्षकीय कार्मिकों को नियोजित करेगा जिन्हें नौभार संभलाई अथवा स्टोवेज में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव हो और आवेदन के साथ उनका विवरण संलग्न करना होगा ;

3) जब तक किसी व्यक्ति को इन विनियमों के तहत लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है तब तक वह पत्तन में कोई भी स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग गतिविधियां शुरु नहीं करेगा:

बशर्ते कि वह व्यक्ति जिन्हें यह विनियम लागू होने से पूर्व लाइसेंस जारी किया गया है, वह मौजूदा लाइसेंस के अधीन साठ (60) दिनों की अवधि के लिए अथवा इन विनियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, शर्तों की पूर्ति करने पर प्रचालन जारी रख सकता है।

5. लाइसेसिंग प्रधिकारी — इन विनियमों के तहत अध्यक्ष, लाइसेंसिंग प्रधिकारी होंगे।

6. लाइसेंस शुल्क :- लाइसेंस जारी करने हेतु शुल्क तीन वर्षों की अवधि के लिए कर रहित रुपए पचास हजार होगा, जो मंडल द्वारा संशोधित किया जाएगा।

7. स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग प्रभार :- (1) न्यायनिर्णायक मंडल स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग क्रियाकलापों हेतु मैकनाइज्ड तथा मैन्युअल प्रचालनों के लिए अलग - अलग सामान्य प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।

(2) पत्तन स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग क्रियाकलापों के लिए सीलिंग प्रशुल्क सेट अधिसूचित करेगा तथा प्रशुल्क को पत्तन की वेबसाइट पर अधिदेशात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी एजेण्ट अधिसूचित अधिकतम प्रशुल्क से अत्याधिक प्रशुल्क प्रभारित नहीं करेगा।

(3) प्रशुल्क के मानिटरिंग तथा उल्लंघन संबंधी सभी शिकायतों पर विचार करने के लिए यातायात प्रबंधक जिम्मेदार नोडल अधिकारी होंगे।

(4) पत्तन स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग हेतु रायल्टी प्रभारित करेगा और प्रति मैट्रीक टन दर नियत करेगा और रॉयल्टी लाइसेंस शुल्क के संबंध में कोई विभेदन नहीं किया जाएगा।

8. रॉयल्टी का भुगतान – (1) मंडल, लाइसेंस के संबंध में, प्रति मैट्रीक टन के आधार पर लाइसेंस शुल्क के रूप में रॉयल्टी वसूल करेगा और एजेंटों द्वारा संभलाए गए एक ही प्रकार के नौभार व मात्रा के लिए शुल्क प्रभारित करने में कोई विभेदन नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक एजेंट जहाज के कॉल से पहले आयात के मामले में इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट क्वांटिटी आधार पर और निर्यात के मामले में जहाज के एजेंट या निर्यातक द्वारा घोषित मात्रा अथवा एक्सपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट के आधार पर अग्रिम में रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और देय वास्तविक रॉयल्टी की गणना एजेंट द्वारा संभलाए गए नौभार की कुल मात्रा के आधार पर जहाज प्रचालन पूरा होने के बाद की जाएगी ।

(3) रॉयल्टी की राशि में अंतर, यदि कोई हो, बिल की तारीख से दस दिनों के भीतर देय होगा और रॉयल्टी के भुगतान में देरी के मामले में पत्तन के दरमानों में निर्दिष्ट किए अनुसार ब्याज देय होगा।

(4) मंडल निम्नलिखित परिस्थितियों में रॉयल्टी में छूट देने पर विचार कर सकता है, अर्थात;---

(क) पत्तन के पंजीकृत नौभार संभलाई श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि के दौरान एजेंटों द्वारा संभलाया गया नौभार;

(ख) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संभलाया गया राहत नौभार;

(ग) आपात स्थितियों के दौरान संभलाया गया रक्षा नौभार;तथा

(घ) यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया है ।

9. नाम, गठन आदि में परिवर्तन को सूचित किया जाना :- लाइसेंसधारी नाम, शीर्षक या गठन, निदेशक, प्रबंध निदेशक या पार्टनर, जैसी भी स्थिति हो, में किसी भी परिवर्तन के बारे तुरंत अध्यक्ष को सूचित करेंगे और साथ ही ऐसे परिवर्तन के समर्थन में दस्तावेज की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेंगे । स्टीविडोरिंग लाइसेंसधारक फर्म या कंपनी के नाम, शीर्षक या गठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर तुरंत अध्यक्ष को सूचित करेंगे और ऐसे परिवर्तन करनेवाली फर्म या कंपनी लाइसेंस जारी करने के लिए पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत करेगी, बशर्ते कि अध्यक्ष अपने निर्णय पर उस फर्म या कंपनी को तब तक व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं जब तक पुनः प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है और ऐसे मामले में जारी किए जानेवाले नए लाइसेंस के प्रभार भी वही होंगे जैसे नए लाइसेंस के लिए भुगतान किए जाते हैं ।

10. लाइसेंस की वैधता तथा नवीनीकरण -- (1) यह लाइसेंस, जारी होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए वैध होगा ।

(2) पात्र व्यक्ति को स्टीविडोरिंग लाइसेंस, शोर हैण्डलिंग लाइसेंस, या दोनों जारी किया जाएगा और अपवाद, यदि कोई हो, तो मंडल के अनुमोदन से जारी किया जाएगा ।

(3) एजेंट द्वारा प्राप्त उत्पादकता दर्शानेवाला दैनिक निष्पादन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में यातायात विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारी द्वारा प्रति माह एजेंट के कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण किया जाएगा ।

(4) एजेंटों को जारी लाइसेंस की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन यातायात प्रबंधक द्वारा मानिटर किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट प्रति माह अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी ।

(5) यदि यातायात प्रबंधक को एजेंट की ओर से कोई चूक नजर आती है तो वे पहली चूक के मामले में चेतावनी जारी करेंगे और दूसरी चूक होने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा ।

(6) तीन वर्षों की समाप्ति पर लाइसेंस को कार्य निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा।

(7) लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन, लाइसेंस समाप्ति से कम से कम तीन माह पहले अपेक्षित शुल्क सहित फार्म 'क' में प्रस्तुत किया जाएगा । लाइसेंस नवीनीकरण से पहले नियमों के अनुसार सुरक्षा मानकों के अनुपालन के संबंध में गोदी कामगार अथवा सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कल्याण अधिनियम, 1986 (1986 का 54) के तहत नियुक्त निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी जिसपर लाइसेंस का नवीनीकरण करते समय विचार किया जाएगा ।

(8) यदि नवीनीकरण हेतु आवेदन, निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदन, कर रहित रुपए पांच हजार के विलंब शुल्क का भुगतान कर, स्वीकार किए जा सकते हैं

(9) यदि एजेंट आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और नवीनीकरण के लिए पात्र पाए जाते है किंतु लाइसेंस अवधि की समाप्ति पूर्व सुरक्षा निर्बाधता की प्रत्याशा में है, तो पत्तन द्वारा फॉर्म 'ग' में क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करते हुए तथा नवीनीकरण आवेदन प्रक्रियाधीन रहने के दौरान जमानती जमा का अवरोधन करते हुए प्रचालन की अनुमति दी जाएगी ।

(10) मंजूर या नवीनीकृत प्रत्येक लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में फॉर्म "ख" में होगा ।

11. स्टीविडोर्स के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व :- स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग एजेंट, जो भी मामला हो, निम्नलिखित का अनुपालन करेगा, यथा :-

(i) उनकी गतिविधि के संबंध में उस समय के लिए प्रभावी किसी भी कानून के तहत निर्दिष्ट लागू सुरक्षा मानकों और श्रम नियमों का अनुपालन करेंगे ;
(ii) ऐसे प्रचालनों से उत्पन्न तीसरे पक्ष के सभी दावों के लिए मंडल को क्षतिपूरित करेंगे ;
(iii) लापरवाही, खराब उपकरण के इस्तेमाल अथवा किसी अन्य कार्रवाई के कारण किसी दुर्घटना या क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे ;
(iv) सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नियोजित नैमित्तिक कामगारों को बीमा पॉलिसी तथा यथा ग्राह्य नियमों के तहत ऐसी अन्य सुविधाओं के तहत शामिल किया गया है ;
(v) किसी भी दुर्घटना के मामले में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अनुसार दावे का निपटान करने के लिए जिम्मेदार होंगे ;
(vi) लागू दरमानों के अनुसार पत्तन को निर्धारित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करेंगे ;
(vii) प्रत्येक जहाज के लिए पर्याप्त उपकरण या गियर, चाहे अपनी मालकियत का हो या किराए पर लिया गया हो, का विधिवत परीक्षण करेंगे और प्रशिक्षित पर्यवेक्षकीय कर्मियों को तैनात करेंगे ;
(viii) सुनिश्चित करेंगे कि मंडल को देय पूरी राशि नियत तारीख को अदा की जाती है ;
(ix) सुरक्षा, प्रचालन आवश्यकता, उन्नत उत्पादकता, श्रम अनुशासन की दृष्टि से या ऐसे संबंधित मामलों में अध्यक्ष अथवा उनकी ओर से कोई भी कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेंगे ;
(x) प्रचालन के दौरान यदि मंडल के किसी भी गियर, संयंत्र या किसी अन्य संपत्ति को हानि या क्षति पहुंचती है तो इसकी उचित जांच पड़ताल करने उपरांत अध्यक्ष के निर्णय पर, मंडल को क्षतिपूरित करेंगे ;
(xi) लाइसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ;
(xii) पत्तन द्वारा नियत कार्यनिष्पादन मानकों को हासिल करेंगे ;
(xiii) ब्रेक-अप सहित प्रशुल्क को पत्तन द्वारा अनुमोदित करवाकर उनकी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे;
(xiv) पत्तन द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी तुरंत प्रस्तुत करेंगे ;
(xv) निष्पादन में सुधार करने हेतु प्रभावी क़दम उठाएंगे और प्रतिदिन निष्पादन रिपोर्ट यातायात विभाग को प्रस्तुत करेंगे ;
(xvi) नौभार के प्रकार के अनुसार कामगारों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान करेंगे ।

12. लाइसेंस को रद्द या निलंबित करना :- (1) अध्यक्ष, नीचे उल्लिखित किसी का उल्लंघन करने पर एजेंट को जारी लाइसेंस किसी भी समय निलंबित या रद्द कर सकता है,यथा :-

(i) पत्तन द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन मानकों को औसतन तीन महिनों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं किया गया हैं ;

(ii) पत्तन द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क से अधिक प्रशुल्क प्रभारित किया जाता हैं ;

(iii) नैतिक अधमतावाला कोई भी अपराध न्यायालय द्वारा सिद्ध हुआ है ;

(iv) सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन तथा अधिदेशात्मक गोदी सुरक्षा उपायों का अनुपालन न करना ;

(v) उचित तथा सुरक्षित संभलाई पद्धतियों को नहीं अपनाता है ;(vi) वास्तविक तथ्यों को अयथार्थ रूप से प्रस्तुत करना या अनुचित रूप से बताना ;

(vii) दिवालिया सिद्ध हुआ है अथवा परिसमापन अधीन है ;

(viii) स्टीविडोरिंग प्रचालन या गतिविधियां किसी अन्य व्यक्ति या पार्टियों को हस्तांतरित करना या उप-ठेके पर देना ;(ix) सुरक्षा नियम, अनुदेश या अंतर्राष्ट्रीय जहाज तथा पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता का अनुपालन न करना ;

(x) ऐसे किसी भी कदाचार का दोषी है, जिसके लिए अध्यक्ष के विचार से लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है ;(xi) अवैध या भ्रष्ट व्यवहार करता हो ;

(xii) पत्तन के किसी भी कार्य में रुकावट पैदा करता है या पतन की सुरक्षा या किसी अवैध या विद्वेषपूर्ण व्यवहार के साथ समझौता किया है ;

(xiii) अध्यक्ष या उनकी ओर से कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए किसी भी निदेशों का अनुपालन न करना; (xiv) प्रतिदिन कार्य निष्पादन रिपोर्ट अथवा अध्यक्ष या उनकी ओर से कार्यकारी अधिकारी द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है ;

(xv) उस समय के लिए लागू किसी भी कानून की अवहेलना तथा/या उल्लंघन किए जाने हेतु ;

(xvi) पत्तन को देय राशि का भुगतान न करना ;

उपबंधित है कि ऐसा कोई भी लाइसेंस तब तक रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइसेंसधारी को यह कारण बताने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है कि उनका लाइसेंस रद्द या निलंबित, जैसी भी स्थिति हो, क्यों नहीं किया जाए ।

(2) लाइसेंस के निलंबन/निरसन का आदेश, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, लिखित में सूचित किया जाएगा ।

13. अपील:- (1) इन विनियमों के तहत, लाइसेंस को रद्द अथवा निलंबित अथवा जारी करने से इनकार करने के किसी आदेश से, यदि कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, की सूचना से तीस दिनों के भीतर सचिव(पोत परिवहन), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को लिखित में अपील कर सकता है ।

(2) सचिव(पोत परिवहन),पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अपीलकर्ता को अवसर देने उपरांत अपील पर यथोचित आदेश दे सकता है ।

14. जमानती जमा की वापसी :- जमानती जमा को, मंडल के दावे, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद, एजेंट को निम्न परिस्थितियों में वापस करनी होगी, अर्थात :-

(क) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर और नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है ;(ख) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से इंकार करने पर ;(ग) लाइसेंस रद्द करने पर ; तथा

(घ) यदि एजेंट उसे जारी किए गए लाइसेंस को समाप्त करना चाहता है तथा इसे समाप्त करने और जमानती जमा वापस करने हेतु अध्यक्ष को लिखित में आवेदन करता है ।

15. पतन अथवा गोदी श्रम मंडल अथवा लाइसेंसधारी या बाहर से कामगारों की तैनाती :-

(1) एजेंट अपने कार्यकलापों के लिए पत्तन श्रमिकों को तैनात करेंगे ।

(2) यदि पत्तन एजेंटों की आवश्यकतानुसार कामगारों की आपूर्ति नहीं कर सकता है तो पत्तन, इस प्रयोजन के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करने की अनुमति दे सकता है। बशर्ते कि कोई नोशनल बुकिंग अथवा प्रभार उगाही नहीं होगी और यदि पत्तन श्रमिकों की आपूर्ति नहीं करता है तो श्रमिकों के लिए एजेंटों से कोई प्रभार नहीं लिए जाएंगे।

16. निष्पादन मानक :- (1) पत्तन में स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग कार्यकलाप निष्पादित करने के लिए मंडल एजेंटों द्वारा अपनाए जानेवाले निष्पादन मानकों को विनिर्दिष्ट करेंगे।

(क) मंडल, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एजेंटों के लिए प्रोत्साहन नियत कर सकते हैं और एजेंटों द्वारा प्राप्त कार्य निष्पादन का तिमाही सारांश अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं।

(ख) दैनिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट फॉर्म–घ में स्टीविडोरिंग तथा शोर हैंण्डलिंग एजेंट द्वारा यातायात विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। प्राप्त उत्पादन के अनुसरण में एजेंट के कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण प्रति माह अध्यक्ष अथवा उनके प्राधिकार के तहत कार्यरत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। एजेंटों द्वारा प्राप्त उत्पादकता दर्शानेवाला मासिक कार्य निष्पादन विवरण पत्तन की वेबसाइट पर दिया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) शुष्क बल्क नौभार के मामले में शुष्क बल्क नौभार हेतु महापत्तन, 2016 की बर्थिंग नीति के अंतर्गत पत्तन द्वारा नियत मानक इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निष्पादन मानक होंगें।

(घ) अन्य नौभार के मामले में जो ब्रेक बल्क और कंटेनर सहित शुष्क बल्क नौभार हेतु महापत्तन, 2016 की बर्थिंग नीति के अंतर्गत शामिल नहीं है, निष्पादन मानक वह होंगे जो पत्तन द्वारा नियत किए गए हो।

17. प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिक का इस्तेमाल :- स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग कार्यकलापों के लिए तैनात कार्मिकों को उत्पादकता, कार्यक्षमता तथा सुरक्षा को सुधारने की दृष्टि से नौभार संभलाई की आधुनिक पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

18. विविध:- अध्यक्ष,समय-समय पर ऐसे उचित प्रचालन दिशानिर्देश या अनुदेश या ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के सुचारु कार्यान्वियन तथा निष्पादन के लिए आवश्यक है।

19. निर्वचन :- इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में या किसी भी मामले में जो यहां ऊपर उल्लिखित न हो या बाद में उपबंधित किया हो, के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस पर मंडल द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

20. निरसन और व्यावृत्ति :- मुरगांव पत्तन न्यास (स्टीवीडोर्स की लाइसेंसिंग) विनियम, 2010 तथा इन विनियमों के समरूप तथा इन विनियमों के लागू होने से तत्काल पहले प्रवृत्त प्रक्रियाओं, पद्धतियों तथा रितियों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

यह भी उपबन्धित है कि इन विनियमों, प्रक्रियाओं,पद्धतियों तथा रीतियों के तहत बनाए आदेशों अथवा उस पर की गई कार्रवाई जिनका निरसन हुआ है, का तात्पर्य इन विनियमों के तत्संबंधी प्रावधानों के तहत बनाए गए या की गई माना जाए।

फार्म "क"

[देखें, विनियम 4 (1) और 10 (7)]

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

यातायात विभाग

सेवा में,

अध्यक्ष,

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग लाइसेंस की मंजूरी/ नवीनीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. क्या आवेदक,फर्म या कंपनी है
   (पार्टनरशिप विलेख/ कंपनी का

पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए)

3. पूरा पता व ई-मेल :

4. वह वर्ष जिस दौरान लाइसेंस आवश्यक है :

5. उस स्टीमशिप कंपनी/चार्टर ऑफ शिप/ माल के मालिक/मालिकों का/के नाम, जिनके साथ उनके जलयान से/ माल के स्टीविडोर से संबंधित कार्य के लिए संविदा जारी है या करने का प्रस्ताव है। (समाविष्ट अवधि के लिए संविदा का प्रमाण संलग्न किया जाए। प्रत्येक पार्टी के लिए लगभग टनेज सूचित की जाए)

6. इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव, यदि कोई (पिछले 3 वर्षों में स्टीविडोर किए गए कार्गो व टेनेज के ब्योरे प्रस्तुत करें)

7. कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम आदि के अंतर्गत वेतनों, प्रतिपूर्ति के कारण दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय योग्यता राशि (बैंकरों से वित्तीय योग्यता का प्रमाण पत्र तथा आयकर विवरणी प्रस्तुत करें)

8. क्या संविदा किए गए जलयान/ माल के संबंध में स्टीविडोर संबंधी कार्य को करने के लिए आवेदक में पर्याप्त गियरों का अधिग्रहण कर लिया है/ करने के लिए सहमत है? (गियरों की सूची आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाए)

9. क्या आवेदक के पास नियमों व विनियमों का अनुभव रखने वाले तथा से परिचित पर्याप्त कर्मचारी है/ नियोजित करना चाहता है। (कर्मचारी व उनके कार्य अनुभव की सूची प्रस्तुत की जाए)

10. क्या आवेदक ने मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के साथ किए सम्व्यवहारों संबंधी सभी राशि, यदि कोई, का निपटान किया है ? क्या लाइसेंस शुल्क तथा प्रतिभूति जमा अदा की गई है ? (भुगतान की रसीद संलग्न की जानी है ।

11. यदि लाइसेंस जारी/नवीनीकृत नहीं किया गया है

तो लाइसेंस शुल्क तथा जमा राशि वापस की जाएगी।)

12. क्या आवेदक ने वेतन आदेश /डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पाच लाख रुपये जमा किए हैं?
हम पुष्टी करते हैं कि प्रस्तुत जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

हम, निरीक्षण के लिए अन्य कोई जानकारी / रिकॉर्ड, जो लाइसेंस की मंजूरी हेतु अनुरोध पर विचार करने के लिए यथा अपेक्षित है, प्रस्तुत करने के लिए सहमति देते हैं ।

हम एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि हमें नैतिक अपराध से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

यदि लाइसेंस जारी/नवीनीकृत किया जाता है तो हम, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीविडोरिंग तथा शोर हैंडलिंग) विनियम, 2023 का पालन करने तथा मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग) विनियम, 2023 के तहत अध्यक्ष अथवा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य किसी भी शर्तों का अनुपालन करने की सहमति देते हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : (कंपनी/पार्टनरशिप/प्रोपराइटर के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

दिनांक:

फार्म "ख"

(देखें, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग) विनियम, 2023 का विनियम 10(10)

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

<u>यातायात विभाग</u>

लाइसेंस सं. दिनांक :

<u>मुरगांव पत्तन प्राधिकरण में स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग प्रचालन कार्य करने हेतु लाइसेंस</u>

1. लाइसेंसधारी का नाम :
2. पता :
3. वह अवधि जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है :
4. यह लाइसेंस, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग) विनियम, 2023 के अधीन जारी किया जाता है :

लाइसेंसदाता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

- शर्तें, मुख्यतया मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग) विनियम,2023 के आधार पर निर्धारित की जाएंगी ।

फार्म- ग

[देखें,मुरगांव पत्तन प्राधिकरण(स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग)विनियम,2023 का विनियम10(9) व 11(ii)]

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

(स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है)

यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र श्री / श्रीमती /कु ______________ जो ___________ का / की पुत्र / पुत्री है और __________ निवासी है जिनकी आधार कार्ड सं. __________________ तथा / अथवा पैन कार्ड सं. ______________________________ है, ने _________________ तारीख ___________________माह, वर्ष ------- को ________________ में क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित किया है।

अथवा

हम, (संस्था का नाम) जिनकी सीआईएन संख्या __ तथा पैन सं. ____ है और जिनका पंजीकृत कार्यालय में है और जो श्री / श्रीमती (अधिकारी / प्रतिनिधि का नाम) , आयु _____वर्ष, (संस्था का नाम) में (पदनाम) है (जिसे इसमें आगे "क्षतिपूर्तिकर्ता " कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके / उनके कानूनी वारिस, उत्तराधिकारी (कार्यालय में) तथा समनुदेशिती शामिल है) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल जिनका कार्यालय तीसरा तल, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, एओ बिल्डिंग, हेडलैण्ड सडा गोवा,403804 में है, (जिसे इसमें आगे "क्षतिपूर्तिधारी" कहा गया है और इसके अंतर्गत कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती शामिल है) एक पक्ष है।

जबकि क्षतिपूर्तिकर्ता ने मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग) विनियम, 2023 के विनियम 10(7) के तहत स्टीविडोरिंग तथा शोर हैण्डलिंग लाइसेंस की मंजूरी / नवीनीकरण के लिए यातायात प्रबंधक / मुरगांव पत्तन प्राधिकरण को आवेदन किया है और इन विनियमों के अधीन क्षतिपूर्तिकर्ता को कथित विनियमों में निर्धारित बाध्यताओं को कानूनी रूप से पूरा करना है और इसका उल्लंघन या गैर-कार्य निष्पादन या गलत कार्य-निष्पादन या गैर-कानूनी कार्य निष्पादन करने पर ऐसी सभी मांग, नुकसान, अति लागत, प्रभार, व्यय, मुकदमा या कार्यवाही जो जहाज पत्तन की सीमाओं के भीतर होने के दौरान या अन्यथा क्षतिपूर्तिधारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न किसी भी स्थिति या संभाव्य घटना में होती है, जहां तीसरी पार्टी के दावे या लाइसेंसिंग अवधि के दौरान हुई ऐसी कोई हानि के कारण क्षतिपूर्तिकर्ता को वित्तीय रूप से या अन्यथा क्षति पहुंचती है, क्षतिपूरित करेगा।

और जबकि क्षतिपूर्तिकर्ता इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र द्वारा बिना कोई शर्त एतदद्वारा यह सहमति देता तथा स्वीकार करता है कि ऐसे सभी दावे, मांग, हानि या क्षति, लागत, प्रभार, व्यय, मुकदमा या कार्यवाही जो कि कथित लाइसेंस रहने के दौरान या कथित लाइसेंस की समाप्ति के पश्चात या किसी भी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षतिपूर्ति हुई या होती है तो मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल को, बिना कोई आपत्ति उठाए क्षतिपूरित करेगा।

और क्षतिपूर्तिकर्ता, क्षतिपूर्तिधारी को एतदद्वारा सहमति देता है कि यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र बिना शर्त होगा और तब तक वैध और अपरिवर्तनीय रहेगा जब तक क्षतिपूर्तिकर्ता का लाइसेंस प्रभावी है, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जिस दौरान लाईसेंस नवीनीकृत करने हेतु आवेदन पर प्रक्रिया चालू रहती है और जब तक भुगतान और किसी भी दावे का निपटान मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल के पक्ष में नहीं होता है ।

इसके साक्ष्यस्वरूप "क्षतिपूर्तिकर्ता" ने उपर उल्लिखित तारीख तथा वर्ष में साक्षियों की उपस्थिति में इसपर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

(------------------------------)

निष्पादनकर्ता / क्षतिपूर्तिकर्ता

निम्नलिखित की उपस्थिति में

गवाह :

1. नाम पदनाम हस्ताक्षर

2. नाम पदनाम हस्ताक्षर

फार्म – घ

[देखें,विनियम 16(1)(ख)]

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण यातायात विभाग

प्रतिदिन कार्य निष्पादन रिपोर्ट

सेवा में,

यातायात प्रबंधक,

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

जहाज का नाम, एलओए	सीएएस	नौभार मात्रा(मैट्रिक टन में)	मानक	भारण/ अभारण	स्टीविडोरिंग एजेण्ट	अब तक का कार्य निष्पादन (मैट्रिक टन में)	संभलाई गई मात्रा (मैट्रिक टन में)		
							प्रोप. मानक	अब तक का कार्य निष्पादन (मैट्रिक टन में)	शेष

हस्ताक्षर व मुहर

(स्टीविडोर के प्राधिकृत हस्ताक्षर--कर्ता)

डॉ. एन. विनोदकुमार, आईपीओएस, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./537/2023-24]

BOARD OF MAJOR PORT AUTHORITY FOR MORMUGAO PORT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2023

F. No. GAD/Legal-Amend/23/2023.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 72 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Authority (Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2023 made by the Board of Mormugao Port Authority in exercise of the powers conferred on them **by section 24, clause (h) of sub-section (i) of section 26 read with clauses (f) and (i) of sub-sections (2) of section 72** of the said Act and published in the official Gazette of Government of Goa dated the 27th October' 2022, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 24, clause (h) of sub-section (1) of section 26 read with clauses (f) and (i) of sub-section (2) of section 72 of the Major Port Authorities Act, 2021(1 of 2021), the Board of Mormugao Port Authority hereby makes the following regulations, in supersession of the Mormugao Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulations, 2010, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These regulations may be called the Mormugao Port Authority(Stevedoring and Shore Handling)Regulations, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-(1)In these regulations, unless the context otherwise requires,-
(a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);
(b) "agent" means a person to whom stevedoring and shore handling licence has been issued under regulation 4;
(c) "Form" means forms annexed to these regulations;
(d) "Licence" means a stevedoring and shore handling licence issued under regulation 4.
(e) "Licencee" shall mean a person to whom a stevedoring and shore handling licence has been issued under these regulations;
(f) "Licensing Authority"means the Chairperson of the Port;
(g) "Port" means the Mormugao Port;
(h) "Royalty" means the amount fixed by Board of Mormugao Port, which is payable by the agent to the Board for rendering stevedoring or shore handling services;
(i) "Shore Handling" includes arranging and receiving the cargo to or from the hook point, inter modal transport from wharf to stack-yard and *vice-versa* and also receiving and delivering of a cargo from or to sea, railways, waterways or roadways;
(j) "Stevedore" is an agent authorised under these regulations for loading, unloading and stowage of cargo;
(k) "Stevedoring" includes loading, unloading and stowage of cargo in any form on board the vessel;
(l) "Traffic Manager" means the Officer in charge of the Traffic Department of the Mormugao Port and includes his deputies or assistants or any other officer acting under his authority;
(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Application**.-These regulations shall apply to the stevedoring and shore handling activities undertaken by the agent but shall not apply to the stevedoring and shore handling activities by the Port, Public Private Partnership projects, Build-Operate-Transfer operations or agreements or such other agreements as have been entered into by the Board.

4. **Licensing of stevedoring and shore handling agent.**-(1) Any eligible person fulfils the eligibility criteria can apply for licence in writing to the Chairperson in Form-A, alongwith the documents specified therein and with fee as the Board may fix.

(2) The licence shall be issued to the applicant subject to fulfillment of following criteria:

(a) the applicant is a company registered under the Companies Act, 2013(18 of 2013) or a partnership firm or any other legal entity;

(b) the applicant shall deposit interest free refundable security amount of rupees five lakhs to meet any contingency, which shall be refunded after adjusting the claims, if any, when the licensee ceases to operate;

(c) the applicant possesses equipments required for stevedoring and shore handling activities as specified by the Board;

(d) the applicant shall submit an undertaking to employ atleast six supervisory personnel with minimum two years of cargo handling or stowage experience and their profiles shall be enclosed alongwith the application.

(3) No person shall undertake to perform the stevedoring and shore handling activities in the port unless he has been issued a licence under these regulations:

Provided that a person to whom licence has been issued prior to coming into the force of these regulations, may continue to operate under the existing licence for a period of sixty (60) days or till he obtains a licence under these regulations, whichever is earlier after fulfilling requirements.

5. **Licensing Authority**.-Chairperson shall be the licensing authority under these regulations.

6. **Licence Fees**.-The fee for issue of licence shall be rupees fifty thousand excluding taxes for a period of three years which may be revised by the Board.

7. **Stevedoring and Shore Handling Charges**.-(1) The Adjudicatory Board shall notify the normative tariff for stevedoring and shore handling activities, separately for mechanized and manual operations.

(2) The Port will notify the ceiling tariff set for stevedoring and shore handling activities and the tariff shall be mandatorily displayed on the Port website. No agent shall charge tariff exceeding the ceiling rates notified.

(3) The Traffic Manager shall be the nodal officer responsible for monitoring of tariff and responsible for handling all complaints on violation.

(4) The Port shall charge a royalty for the stevedoring and shore handling and fix per metric ton rate and no discrimination shall be made on the royalty licence fee.

8. **Payment of Royalty**.-(1) The Board shall, in respect of the licence, charge a royalty as the licence fee on per metric ton basis and no discrimination shall be made in charging for the same type and quantity of cargo handled by the agents.

(2) Every agent shall be liable to pay royalty in advance, prior to calling of vessel, on the basis of import general manifest quantity, in case of import and on the basis of the quantity declared by the vessel's agent or exporter or export general manifest, in case of export and the actual royalty payable shall be calculated after completion of the vessel's operation based on the total quantum of cargo handled by the agent.

(3) The difference in amount of royalty, if any, shall be payable within ten days from the date of raising of the bill and in case of delay in payment of royalty, interest shall be payable as specified in the scale of rates of the port.

(4) The Board may consider the waiver of royalty in following circumstances, namely:-

(a) cargo handled by the agents during the period of strike called by the registered cargo handling workers of the port;

(b) relief cargo handled during the natural calamities;

(c) defence cargo handled during the emergencies; and

(d) if such direction is issued by the Government.

9. **Change in Name, constitution, etc. to be communicated.-**The Licensee shall immediately communicate to the Chairperson about any change of the name, title or constitution, director, managing director or partner as the case may be, with a copy of the document in support of such change. Any change in the name, title or constitution of a firm or company holding a stevedoring licence, shall be communicated to the Chairperson forthwith and the firm or company undergoing such a change shall submit a fresh application for the grant of a licence, provided that the Chairperson may at his discretion allow such a firm or company to carry on business till such time a decision is taken on such fresh application and the fresh licence required to be issued in such cases shall however attract the same charges as are payable for the issue of a new licence.

10. **Validity and renewal of licence**.-(1) The licence will be valid for a period of three years from the date of issuance of the licence.

(2) An eligible person shall be issued stevedoring licence, shore handling licence or both, and exception, if any, shall be with the approval of the Board.

(3) The daily performance report capturing productivity achieved by the agent in the prescribed format shall be submitted to the traffic department online. The officer delegated by the Chairperson shall review the performance of agent every month.

(4) Compliance of terms and conditions of the licence issued to the agents shall be monitored by Traffic Manager and a report shall be submitted to the Chairperson every month.

(5) If the Traffic Manager finds any default on the part of agent, he shall cause to issue warning in the event of first default and in the event of second default, the licence of the agent shall be liable to be cancelled.

(6) At the end of three years, the licence shall be renewed on the basis of performance reports.

(7) An application for renewal of licence shall be submitted in Form-A, at least three months prior to expiry of licence alongwith the requisite fee. Before renewal of the licence, a report shall be obtained from the Inspector appointed under the Dock Workers or Safety Health and Welfare Act, 1986 (54 of 1986) in respect of compliance with the safety norms as per the statute and the same shall be taken into consideration for granting renewal.

(8) If the application for renewal is not received within the stipulated period, such applications may be accepted upon payment of late fee of rupees five thousand, excluding taxes.

(9) If the agent fulfils the required conditions and found eligible for renewal but awaiting safety clearance before expiry of the licence period, the Port shall permit the operation by executing an indemnity bond in Form-C and retention of the security deposit during such period when the renewal application is under process.

(10) Every licence granted or renewed shall be in Form “B” in electronic format.

11. **Duties and responsibilities of stevedores**.-Stevedores or shore handling agent, as the case may be, shall perform the following duties, namely:-

(i) comply with applicable safety norms and labour laws specified under laws for the time being in force in relation to his activity;
(ii) indemnify the Board against all third party claims arising out of such operations.
(iii) be solely responsible for any accident or damage resulting either out of negligence, from the use of defective equipment or for other actions;
(iv) ensure that the casual workers deployed by him are covered by the insurance policy and such other benefits under applicable law;
(v) liable to settle claims as per the Employees’ Compensation Act, 1923 (8 of 1923) in case of any accident;
(vi) liable to pay scheduled charges, as per the Scale of Rates in force, to the port in advance;
(vii) employ duly tested adequate equipment or gear, either owned or hired, and deploy trained supervisory personnel for each vessel;
(viii) ensure that all the amounts due to the Board are paid on the appointed dates;
(ix) comply with such instructions as may be issued from time to time by the Chairperson or any officer acting on his behalf, in the interest of safety, operational requirement, improved productivity, labour discipline or such related matters;
(x) shall compensate the Board for any loss or damage caused to any gear, plant or other property of the Board during the course of operation to the extent of which shall be decided by the Chairperson after carrying out proper enquiry;
(xi) ensure compliance with the terms and conditions of licence;
(xii) achieve the performance norms fixed by the Port;
(xiii) get the tariff along with break up approved by the Port and upload on its website.
(xiv) submit promptly any information sought for by the Port.
(xv) shall take effective steps to improve the performance and submit the daily performance report to the traffic department;
(xvi) shall provide the workers necessary protective safety appliances appropriate for the type of cargo.

12. **Cancellation or suspension of licence**.-(1)The Chairperson may at any time suspend or cancel the licence issued to an agent for violation of any of the following, namely:-

(i) the performance norms specified by the Port has not been achieved for an average over a period of three months;
(ii) charges higher tariff than the tariff approved by the Port;
(iii) has been convicted by the Court of any offence involving moral turpitude;
(iv) contravened safety regulations and failure to comply with mandatory dock safety measures;
(v) failed to adopt proper and safe handling methods;

(vi) misrepresentation or misstatement of material facts;

(vii) has been adjudged insolvent or under liquidations;

(viii) transfer or sub-contracting of the stevedoring operations or activities to any other individual or parties;

(ix) failed to comply with security rules, instructions or International Ship and Port Facility Security code;

(x) guilty of misconduct which in the opinion of the Chairperson warrants cancellation or suspension of licence;

(xi) indulged in illegal or corrupt practices;

(xii) causes obstruction to any work in the Port or compromised safety of Port or any illegal or malicious acts;

(xiii) for non-compliance of any direction issued by the Chairperson or an officer acting on his behalf;

(xiv) has failed to submit daily performance report or any other information sought by the Chairperson or an officer acting on his behalf;

(xv) for contravention and/or violation of any law for the time being in force; and

(xvi) Non payment of dues payable to the Port.

Provided that no such licence shall be cancelled or suspended as the case may be until the holder of the licence has been given a reasonable opportunity for showing cause why his licence should not be cancelled or suspended as the case may be.

(2) An order of suspension or cancellation of licence shall be communicated in writing within a period of thirty days from the date of order.

13. **Appea**l.-(1) Any person aggrieved by any order of cancellation or suspension or refusal to issue licence, under these regulations, may prefer an appeal in writing to the Secretary (Shipping), Ministry of Ports, Shipping and Waterways, within thirty days of the communication of the order appealed against.

(2) The Secretary (Shipping), Ministry of Ports, Shipping and Waterways, shall pass such order on the appeal as it deems fit after giving an opportunity to the appellant.

14. **Refund of security deposit.**-The security deposit is liable to be refunded to the agent, after making adjustments of the claims of the Board, if any, in the following circumstances, namely;-

(a) on the expiry of the period of licence and no application has been made for renewal;

(b) on the refusal of the application for renewal of licence;

(c) on cancellation of licence; and

(d) if the agent desires to foreclose the licence issued to him and makes an application in writing to the Chairperson for foreclosure and refund of security deposit.

15. **Deployment of workers from Port or Dock Labour Board or licence holder or outside**.-(1) Agent shall deploy Port labour for carrying out his activities.

(2) In case the Port is unable to supply the requisite workers against the requisition placed by agent, the Port may allow to make their own arrangement for this purpose:

Provided that no notional booking or levying of charges should be made and agents shall not be levied any charges for labour, in case the Port does not supply the labour.

16. **Performance norms**.-(1) The Board shall specify the performance standards to be followed by the agents for carrying out stevedoring and shore handling activities in the Port.

(a) The Board may, for the purpose of encouraging compliance with the performance standards specified by it, fix incentives for the agents and may publish quarterly summary of performance achieved by the agents on its website.

(b) Daily performance report in Form–D shall be submitted by the stevedoring and shore handling agent to the traffic department. Performance of the agent in terms of productivity achieved shall be reviewed by the Chairperson or any other officer acting under his authority every month. The monthly performance summary capturing productivity achieved by the agents shall be published on the Port website to ensure transparency to the customers.

(c) In case of dry bulk cargo, the norms fixed by Port under the Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016 shall be the performance norms for the purpose of these regulations.

(d) In respect of other cargo, not covered under the Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016, including break-bulk and container the performance norms will be those fixed by the Port.

17. **Training, use of modern technology**.-The personnel deployed in stevedoring and shore handling activities shall be trained in modern methods of cargo handling for improving the productivity, efficiency and safety.

18. **Miscellaneous**.-The Chairperson may issue, from time to time, such appropriate operational guidelines or instructions or such other directions as is required for the smooth implementation and execution of these regulations.

19. **Interpretation**.- Any question arises as to the interpretation of these regulations or in respect of any matter not hereinabove or subsequently provided for, the same shall be decided by the Board.

20. **Repeal and savings**.-The Mormugao Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulations, 2010 and the procedures, practices and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedure, practices and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

FORM –A

[See regulation 4 (1) and 10 (7)]

MORMUGAO PORT AUTHORITY

TRAFFIC DEPARTMENT

To,
The Chairperson,
Mormugao Port Authority.

APPLICATION FORM FOR THE GRANT/RENEWAL OF STEVEDORING AND SHORE HANDLINGLICENCE

1) Name of the applicant :

2) Whether applicant is a firm or a company (Deed of partnership/Registration certificate of Company to be produced) :

3) Full Address and email :

4) Year/s for which licence is required :

5) Name/s of the Steamship Company/ Charterer of ship/owner of cargo, with whom the contract for stevedoring their vessel/ cargo subsists or is proposed to be entered (Proof of contract for the period covered is to be appended. The approximate tonnage for each party is to be indicated). :

6) Previous experience in the field, if any (The cargo and tonnage stevedored in the previous 3 years to be furnished) :

7) Amount of financial ability to meet the obligations on account of wages compensation under Employees' Compensation Act etc.
(A certificate from the bankers as to the financial ability and Income Tax Statement to be produced) :

8) Whether the applicant has/is willing to acquire gear for stevedoring the contracted vessel/ cargo ?
(List of gear with necessary certificate to be furnished) :

9) Whether the applicant has/ is willing to have in his employment the full set of staff with experience and conversant with rules and regulations
(A list of the staff and their experience to be furnished) :

10) Whether the applicant has cleared all the amounts, if any, on account of transactions he had with the Mormugao Port Authority.

11) Whether the licence fee and the security deposit has been paid ?
(The receipt for the payment is to be attached. The licence fee and the deposit will be refunded if licence is not issued/ renewed). :

12) Whether the applicant has deposited a sum of rupees five lakhs in the form of Pay order/ Demand Draft? :

We affirm that the particulars given are true to the best of our knowledge.

We agree to furnish any other information/ produce any record for inspection as may be required to consider the request for grant of licence.

We, hereby declare that we have not been convicted for any offence involving moral turpitude.

We agree to abide by the Mormugao Port Authority(Stevedoring and Shore Handling)Regulations, 2023.

and to comply with any other conditions made by the Chairperson or any other officer authorized under Mormugao Port Authority(Stevedoring and Shore Handling)Regulations, 2023, from time to time, if the licence is issued or renewed.

Place: Signature of Applicant

Date: (Authorised Signatory of Company/ Partnership/Proprietor)

FORM- B

(See regulation 10 (10) of Mormugao Port Authority(Stevedoring and Shore Handling)Regulations, 2023)

MORMUGAO PORT AUTHORITY

TRAFFIC DEPARTMENT

Licence No. Dt.

LICENCE FOR UNDERTAKING STEVEDORING AND SHORE HANDLING OPERATIONS AT THE MORMUGAO PORT AUTHORITY.

1. Name of the Licencee:

2. Address:

3. Period for which the licence is granted:

4. This licence is issued subject to the Mormugao Port Authority (Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2023.

Signature of Licensing Authority

Chairperson, Mormugao Port Authority

***The conditions will be drawn mainly based on the Mormugao Port Authority(Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2023

Form – C

(See regulation 10 (9) & 11 (ii) of the Mormugao Port Authority (Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2023)

INDEMNITY BOND

(To be executed on Stamp paper)

This Indemnity Bond is executed on this ___ day of __ 20___ at ________ by Shri/Smt./Kum. ________________ Son/daughter of __________ residing at ____________, having Aadhar Card Number ________________ and/or PAN No. ______________.

OR

We _________________ (Name of the Institution) having CIN No. _________ and PAN No. _________________, having registered office at ________________ and duly represented by Mr./Mrs. _________________________ (Name of the Officer / representative), aged __________ years, the _________________ (Designation) of __________ (Name of the Institution), (hereinafter called "the Indemnifier", which expression shall include his / their legal heirs, successor (in office) and assigns) in favour of the Board of the Mormugao Port Authority having office at 3rd floor, Mormugao Port Authority, AO Bldg., Headland – Sada, Goa, 403 804 (hereinafter called "the indemnified" which expression shall include its successors in office and assigns).

Whereas the Indemnifier has applied for grant/renewal of stevedoring and shore handling licence to the traffic manager / Mormugao Port Authority under regulation 10(7) of the Mormugao Port Authority (Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2023 and under the said regulations the indemnifier is lawfully required to perform his

obligations set out under the said regulations and any violations or non-performance or mis-performance or wrong performance thereof entails or makes liable for indemnifying all such demands, losses, damages, costs, charges, expenses, suits or proceedings caused or suffered by the indemnified arising directly or indirectly during the course of or anytime the vessel is within the port limits or otherwise in any such situation or in the eventuality whereby the indemnified suffers financially or otherwise on account of the indemnifier due to third party claim or any such loss sustained in the course of licensing period or otherwise.

And whereas the indemnifier hereby agrees and accepts by this indemnity bond unconditionally to indemnify the Board of Mormugao Port Authority to pay without raising any objection all such claims, demands, losses or damages, costs, charges, expenses, suits or proceedings caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the indemnified whatsoever arising directly or indirectly during the course of or anytime during the subsistence of the said licence or after the expiry of the said licence.

And 'the indemnifier' hereby agree/s with the "the indemnified" that this indemnity bond shall be unconditional and remain valid and irrevocable until the licence of the indemnifier is in force, including the period during which the application for renewal of licence is being processed and until such more time the payments are made and the claims are settled in favour of the Board of Mormugao Port Authority of the Port of Mormugao.

In witness whereof "the indemnifier" have hereunto set and subscribed his / their hands this day and year first herein above written in the presence of witnesses.

(________________________)

Executor / Indemnifier

In the presence of :

Witnesses:

1. ____________ ____________ ____________

Name Designation Signature

2. ____________ ____________ ____________

Name Designation Signature

FORM- D

[See regulation 16(1) (b)]

MORMUGAO PORT AUTHORITY

TRAFFIC DEPARTMENT

DAILY PERFORMANCE REPORT

To

The Traffic Manager,

Mormugao Port Authority

Vessel Name LOA	CAS	Cargo/ Qty. (in MT)	Norms	Load/Discharge	Stevedoring Agent	On date Performance *in MT)	Qty. Handled (in MT)		
							Prop Norms	Upto date Performance (in MT)	Balance

Signature and Seal

Authorised Signatory of the Stevedore

Dr. N. VINODKUMAR, IPOS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./537/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.14 18:12:36 +05'30'